संख्या-19/18-2099/97/2022/18-2-2023-30(2)/2021

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- अपर मुख्य सचिव,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय,
उ0 प्र0, कानपुर।

3- मण्डलायुक्त,
लखनऊ / अयोध्या / आजमगढ़ मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

4- जिलाधिकारी,
जनपद रायबरेली / बाराबंकी / मऊनाथ भंजन,
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 13 मार्च, 2023

विषय:- औद्योगिक आस्थान (एम0एस0एम0ई0 औद्योगिक पार्क) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर निरन्तर आगे बढ़ाने एवं रोज़गार के सुअवसर पैदा करने तथा आम लोगों की जीवन शैली को उच्च बनाने हेतु यह आवश्यक है कि प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करते हुए इनमें अधिकाधिक पूँजी निवेश आकर्षित किया जाय। इन इकाइयों की स्थापना हेतु इनकी मूलभूत आवश्यकता भूमि उपलब्ध कराये जाने की है। वर्तमान में प्रदेश स्थित औद्योगिक आस्थानों में शेड/भू-खण्डों की उपलब्धता कम है, जबकि प्रदेश के उद्यमियों द्वारा औद्योगिक आस्थानों में शेड/भूखण्डों के आवंटन हेतु औद्योगिक पार्क/औद्योगिक आस्थान/क्लस्टर एरिया विकसित किये जाने की निरन्तर मांग की जा रही है। अत: प्रदेश में औद्योगिक पार्क/औद्योगिक आस्थान/क्लस्टर एरिया विकसित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

2. उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कई ऐसी कताई मिलें हैं, जो बंद पड़ी हैं एवं उनकी भूमि निष्प्रयोज्य दशा में है। यदि इन कताई मिलों की निष्प्रयोज्य पड़ी भूमि पर औद्योगिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आस्थान (एम0एस0एम0ई0 औद्योगिक पार्क) स्थापित किये जायें, तो जहाँ एक ओर इन निष्प्रयोज्य भूमि का सदुपयोग हो सकेगा, वहीं दूसरी ओर एम0एस0एम0ई0 इकाइयों को मूलभूत आवश्यकतानुसार भूमि भी सहजता से उपलब्ध हो सकेगी।

3. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 24.03.2021 को अपर मुख्य सचिव, एम0एस0एम0ई0 तथा अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास की संयुक्त अध्यक्षता में आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम एवं उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कं0 लि0 के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश की बन्द पड़ी तीन कताई मिलों रायबरेली, बाराबंकी व मऊनाथ भंजन के संबंध में उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं0 लि0 के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि कताई मिलों की भूमि राज्य सरकार द्वारा लैण्ड एक्यूजीशन एक्ट 1894 के अंतर्गत प्राप्त (एक्वार्ड) की गयी थी तथा कब्जा प्राप्त कर कंपनी की प्रार्थना पर स्टेट स्पिनिंग कंपनी को स्पिनिंग मिल लगाने हेतु गवर्नमेंट ग्रांट ऐक्ट 1895, के अंतर्गत ग्रांट भूमि हस्तान्तरित की गयी थी। कन्वेयान्स डीड्स (Conveyance Deeds) की शर्तों के अनुसार जब कंपनी को भूमि की आवश्यकता नहीं होगी, तो उसे भूमि छोड़नी/त्यागनी होगी।

4. अवगत कराना है कि जनपद बाराबंकी, रायबरेली, मऊनाथ भंजन में स्थित स्पिनिंग मिलों के पास क्रमश: 69.86 एकड़, 58.66 एकड़ तथा 84.27 एकड़ भूमि निष्प्रयोज्य है। इन तीन कताई मिलों के ऊपर लगभग रू0 351.63 करोड़ की देनदारियॉ हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है-

<u>उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड, कानपुर</u>

4(1) <u>कुल देनदारियों का विवरण (अनुमानित) 31.03.2023</u>

तालिका - 1 (राशि रू0 करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	इकाईवार देयताएं				कुल देनदारियां
		मुख्यालय	रायबरेली	मऊनाथ	बाराबंकी	
A	<u>शासकीय देनदारियां</u>					
	शेयर पूंजी	93.24	0.00	0.00	0.00	93.24
	शासकीय ऋण (मूल राशि)	151.67	0.00	0.00	0.00	151.67
	शासकीय ऋण पर ब्याज	41.54	0.00	0.00	0.00	41.54
	व्यापार कर आस्थगन(मूलराशि)	0.00	12.38	6.28	24.38	43.04

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	<u>कुल शासकीय देनदारियां</u>	286.45	12.38	6.28	24.38	329.49
B	<u>शासकीय संस्थागत देयताएं</u>					
	यूपीएसईबी - बिजली बकाया	0.00	0.27	0.64	0.00	0.91
	यूपीएसआईसी को बयाज	2.84	0.00	0.00	0.00	2.84
	यूपीएसआईडीसी से 16% की दर से ऋण पर ब्याज (23.01.2020 से 31.05.2022 तक)	1.45	0.00	0.00	0.00	1.45
	<u>शासकीय संस्थागत कुल देयताएं</u>	4.29	0.27	0.64	0.00	5.20
C	<u>अन्य देनदारियां</u>					
	कर्मचारियों की बकाया राशि (विस्तृत विवरण तालिका-2)	0.00	0.73	0.01	3.42	4.16
	ईपीएफ पर विलंब शुल्क और ब्याज (अनुमानित)	0.00	0.31	0.00	1.80	2.11
	ईएसआई पर विलंब शुल्क और ब्याज (अनुमानित)	0.00	0.87	0.00	0.78	1.65
	सन्ड्री क्रेडिटर्स	0.04	0.05	0.37	0.42	0.88
	अन्य देनदारियां (विस्तृत विवरण तालिका-3)	1.17	0.09	0.16	0.92	2.34
	<u>कुल अन्य देनदारियां</u>	1.21	2.05	0.54	7.34	11.14
	कुल	**291.95**	**14.70**	**7.46**	**31.72**	**345.83**

4(2) <u>विधिक मामलों पर देयताएं:-</u>

कंपनी के खिलाफ विधिक मामलों के कारण उपरोक्त देयता में शामिल नहीं होने के कारण भविष्य में लगभग 5.80 करोड़ रुपये की देनदारी उत्पन्न हो सकती है। इकाईवार विवरण निम्नवत है:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मुख्य कार्यालय	0.59 करोड़
रायबरेली इकाई	1.61 करोड़
मऊनाथ भंजन इकाई	0.85 करोड़
बाराबंकी इकाई	2.75 करोड़
कुल विधिक देनदारियां(अनुमानित)	**5.80 करोड़**

उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड, कानपुर

कर्मचारियों की बकाया राशि का विवरण (अनुमानित) 31.03.2023 तक

तालिका - 2 (राशि रू0 करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	इकाईवार देयताएं				कुल बकाया राशि
		मुख्यालय	रायबरेली	मऊनाथ	बाराबंकी	
1	वेतन व भत्ता	0.00	0.20	0.00	1.34	1.54
2	मानदेय	0.00	0.28	0.00	0.65	0.93
3	ई.पी.एफ. व ई.एस.आई.	0.00	0.25	0.00	0.89	1.14
4	उपहार	0.00	0.00	0.01	0.54	0.55
	कुल	**0.00**	**0.73**	**0.01**	**3.42**	**4.16**

उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड, कानपुर

कुल अन्य देनदारियों का विवरण (अनुमानित) 31.03.2023 तक

तालिका - 3 (राशि रू0 करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	इकाईवार देयताएं				कुल देनदारियां
		मुख्यालय	रायबरेली	मऊनाथ	बाराबंकी	
1	यार्न डीलरों/ईएमडी की सुरक्षा जमा(सिक्योरिटी)	0.54	0.02	0.08	0.02	0.66
2	डीलरों को देय ब्याज	0.10	0.01	0.01	0.01	0.13

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3	ग्राहकों पर अग्रिम	0.02	0.06	0.03	0.06	0.17
4	व्यय पर देनदारियां	0.51	0.00	0.04	0.29	0.84
5	अन्य देनदारियां (दावा नहीं और अन्य करोड़ शेष)	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54
	कुल	**1.17**	**0.09**	**0.16**	**0.92**	**2.34**

5. कुल शासकीय देनदारियाँ लगभग रू0 329.49 करोड़ को ब्याज सहित माफ किये जाने हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त प्रश्नगत कताई मिल के निष्प्रयोज्य भूमि पर एम0एस0एम0ई0 औद्योगिक पार्क विकसित किया जायेगा।

6. शासकीय देनदारियों के अतिरिक्त अन्य देनदारियों लगभग रू0 22.14 करोड़ का भुगतान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जाएगा। जनपद रायबरेली एवं मऊनाथ भंजन (जनपद मऊ) स्थित स्पिनिंग मिलों की भूमि पर एम0एस0एम0ई0 औद्योगिक पार्क का विकास सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा यूपीएसआईसी के माध्यम से कराया जायेगा। जनपद बाराबंकी में स्थित स्पिनिंग मिल की भूमि का विकास औद्योगिक विकास विभाग द्वारा यूपीसीडा के माध्यम से IT/ITES आदि हेतु कराया जायेगा।

पर्यावरण, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के मानकों/सुसंगत शासनादेशों/नियमों का पालन करते हुये उक्त विभागों के प्रचलित/सुसंगत नियमों/शासनादेशों के अधीन समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

7. उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं0 लि0 की रायबरेली, बाराबंकी एवं मऊनाथ भंजन (मऊ) स्थित इकाइयों की परिसम्पत्तियों को जहाँ है जैसा है (As is Where is) के आधार पर स्पिनिंग मिल द्वारा पुरानी मशीनरी स्क्रैप आदि की बिक्री खुली नीलामी द्वारा की जाएगी एवं नीलामी के उपरान्त प्राप्त धनराशि नियमानुसार सरकारी खाते में जमा की जाएगी। नीलामी की प्रक्रिया प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं0 लि0 के द्वारा संपन्न करायी जाएगी।

8. उपर्युक्त वर्णित स्थिति एवं प्रश्नगत प्रकरण में निहित देनदारियों को सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम विभाग के माध्यम से उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं0 लि0 को भुगतान किए जाने एवं इन मिलों पर शासकीय ऋण को माफ़ किये जाने के आधार पर उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं0 लि0 रायबरेली की 58.66 एकड़ एवं मऊनाथ भंजन (मऊ) की 84.27 एकड़ उपलब्ध निष्प्रयोज्य भूमि पर एम0एस0एम0ई0 औद्योगिक पार्क विकसित करने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग को देने का प्रस्ताव है एवं बाराबंकी की 69.86 एकड़ उपलब्ध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निष्प्रयोज्य भूमि पर यूपीसीडा के माध्यम से IT/ITES आदि हेतु विकसित करने का कार्य औद्योगिक विकास विभाग द्वारा कराये जाने का प्रस्ताव है।

9. इस योजना के किसी भी बिन्दु पर संशोधन/परिवर्द्धन मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तयोजना का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमित मोहन प्रसाद
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय तथा (आडिट-प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
3- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
4- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
5- स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6- स्टाफ ऑफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी लि0, कानपुर।
8- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम, कानपुर।
9- समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उ0प्र0।
10- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनमोल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in